न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:–67 / 2017 दायर दिनांक:–28.06.2017

जीसीएमएस नं. 2017 / 00147

1. नन्हीबानों उम्र 61 साल
2. हुसैन बानो उम्र 77 साल

पुत्री अरनाद जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

————सायलान–02

बनाम

1. अलीमुद्दीन पुत्र कदीर उम्र 46 साल
2. कमाल पुत्र फजलु उम्र 47 साल
3. बखत्यार पुत्र मंजू उम्र 68 साल
4. रशीद पुत्र मंजू उम्र 65 साल

जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

————गैरसायलान–04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता वादीगण

2. श्री संतोष कुमार मुदगल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:– 22-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा न0 862 रकबा 4 ऐयर गैरमुमकिन चाहा, 863 रकबा 97 ऐयर स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिससे अन्य किसी का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

बाका दिनांक 11.06.2017 को सुबह 9 बजे सायलान अपने बच्चो के साथ उक्त आराजीयात की अगली फसल बाबत तैयार कर रही थी कि गैरसायलान मौके पर आये आते ही कहने लगे कि तुम इन जमीनों की रजिस्ट्री हमारे नाम करवा दो, हमारे पास काश्त की कम जमीने है। जिस पर सायलान ने गैरसायलान से अपनी पुश्तेनी आराजीयात को बेचने से मना कर दिया जिस पर गैरसायलान नाराज हो गये, और कहने लगे कि अब तुम्हे हम इन जमीनों से बेदखल करके ही दम लेंगे। हम इन पर डण्डे के बल पर कब्जा करके रहेंगे। यदि गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। क्षतिपूर्ति किसी प्रकार होना संभव नहीं हो सकेगी।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन [illegible] गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे [illegible] गैरसायलान आराजी खसरा न0 862 रकबा 04 ऐयर गैरमुमकिन चाह, 863 रकबा 97 ऐयर कुल [illegible] कुल रकबा 1.01 है0 स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन [illegible] नहीं करे, स्वयं कब्जा नहीं [illegible] सायलान के बच्चे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं क[illegible] रिकॉर्ड व मौके की स्थिति [illegible] बनाये रखें। वेस्ट डेमेज एवं अलीनेट की स्थिति में आराजीयात पर तहसीलदार तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हिण्डौन को रिसीवर नियुक्त फरमाते हुए आराजीयात के काश्त करने एवं आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने बाबत आदेशित फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 11.01.2018 से गैरसायलान की ओर से श्री संतोष मुदगल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किय गया। गैरसायलान अधिवक्ता को जवाब पेश करने के कई अवसर दिये गये। जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आदेशिका दिनांक 28.10.2024 से गैरसायलान का जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 135 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में वाद पत्र के तथ्यों को नकारते हुऐ प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने का मौखिक निवेदन किया है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 135 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान उक्त भूमि के काश्तकार एवं खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। गैरसायलान 1 ता 4 का उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक व संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में सायलान को दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 28.06.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 862, 863 कुल रकबा 1.01 हैक्ट0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 21.11.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:09 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 21/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned with OKEN Scanner